रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 1995/भाद्र 14, 1917
No. 361] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 1995/BHADRA 14, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1995

सं० 137/95-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 616(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (हानि के अवधारण के लिए सन्निक्षिप्त वस्तुओं की पहचान, शुल्क का या अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 1985 के नियम 21 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पदाभिहित प्राधिकारी के निष्कर्षों के, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 8 अगस्त, 1995 में प्रकाशित किये गये थे, आधार पर कि उक्त अधिनियम की पहली सूची के अध्याय 28 के अन्तर्गत आने वाले पोटाशियम परमागनेट के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है), जब उसका चीन जनवादी गणराज्य से भारत को निर्यात किया जाए, संबंध में सन्निक्षेपण है, उक्त माल पर, जब उसका भारत में आयात किया जाए, पाँच हजार नौ सौ बयानवे रुपये प्रति टन के समतुल्य अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित करती है ।

[फा० सं० 525/4/95-सीमाशुल्क (टी०यू०)]

अनिल बेवी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 1995

No. 137/95-CUSTOM

G.S.R. 616(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rule 21 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1985, the Central Government on the basis of findings of the designated authority, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I dated the 8th August, 1995, that there is dumping in respect of Potassium Permanganate falling under Chapter 28 of the First Schedule to the said Act (hereinafter referred to as the said goods), when exported from People's Republic of China to India, hereby imposes on the said goods when imported in India, an additional duty equivalent to five thousand nine hundred ninety-two rupees per Tonne.

[File No. 525/4/95-Cus (TU)]
A. S. BEDI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 • 1995